

फर्द अहकाम

(नियम 20)

(राजस्व)

मुकाम

दालत

जस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम पालो पुत्री शाक्या हल्का 2801
 किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 114 सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुकम की तामिल में जारी किये
11-09-2020	<p>रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि</p> <p>अप्रार्थी श्री पालो पुत्र श्री शाक्या जाति बावरी साकिन ठोडी ने चक 27 NPB के मु.नं. 48 कि.नं. 23, 24, 25 में कुल 0.481 हेक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत् 2077 (2371 B) में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.09.2020 को पेश हो</p>	
4-09-2020	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी उपस्थित होकर नाजायज काश्त की कार्यवाही ड्रॉप करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण में किसी स्थगन का स्थगन ना होने के कारण अतिरिक्त बोधित किया जाता है, इसके विरुद्ध निर्णय अलग ले लिया जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय अलग ड्रॉप / पटवारी हल्का को लिखा जावे। Oh</p>	

